परिपत्र संख्याःडीजी–39/2013

देवराज नागर
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः जुलाई 20, 2013

प्रिय महोदय,

प्रायः देखा जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को यह जानकारी नहीं हो पाती है कि कौन सा अपराधी जेल में है, कौन जेल से कब छूटा, जेल से पेशी के लिए जनपद या जनपद के बाहर कौन अपराधी कब प्रस्तुत हुआ या एक जेल से दूसरी जेल में कब स्थानान्तरित किया गया। जानकारी के अभाव में अपराधी के विरूद्व समयानुसार सर्तक दृष्टि नहीं रखी जा पाती है, जिसका लाभ वह जेल में रहते हुए या पेशी के दौरान अपराध करने में उठाता है। साथ ही साथ मा.न्यायालय में पेशी के दौरान यह पाया जा रहा है कि स्कोर्ट में लगे पुलिस कर्मियों की मिलीभगत/लापरवाही के कारण अपराधी उन स्थानों पर जाते है या ऐसे व्यक्तियों से मिल लेते है, जो विधि संगत नहीं है। ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना नितान्त आवश्यक है।

2. कैदियों के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था किये जाने के लिए निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये है:–

(1) जनपदीय पुलिस अधीक्षक अपने जिला कारागार में निरूद्व सभी सकिय, पेशेवर अपराधियों की सूची कारागार अधीक्षक से सम्पर्क कर प्राप्त करेंगे। यह कार्यवाही दिनाकः 31.07.2013 तक पूर्ण कर ली जाए।

(2) इन अपराधियों की सूची ए0टी0एस0 और एस0टी0एफ0 को कमशः इनके ई–मेल ssp@)upats.com और sspstf@upstf.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(3) एटीएस और एसटीएफ के द्वारा इन सूचियों में से अतिसक्रिय अपराधियों की सूची अपने पास रखी जायेगी तथा उनकी निगरानी ठीक से करायी जायेगी।

(4) कारागार से छूटने वाले सभी अपराधियों के बारे में जनपद स्तर पर डेटावेस रखा जायेगा। इसके लिए निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:–

- काइम शाखा का एक पुलिस कर्मी जिला कारागार/केन्द्रीय कारागार के छूटे सभी कैदियों की सूची उनके कारागार अधीक्षक से प्राप्त करेंगे।
- इस सूची में से सक्रिय अपराधियों के छूटे जाने की जानकारी जनपदीय पुलिस अधीक्षक sms gateway के माध्यम से अपने व सम्बन्धित अन्य जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं राजपत्रित अधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,एसटीएफ और एटीएस को सूचित करेंगे।

(5) सक्रिय अपराधियों के एक जेल से दूसरे जेल में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:–

- शासन द्वारा अपराधी को प्रदेश के अन्दर एक जेल से दूसरे जेल में स्थानान्तरित किया जाता है। जिस जेल से अपराधी स्थानान्तरित होगा, वहाँ के जेल अधीक्षक द्वारा उस जिले के पुलिस अधीक्षक तथा जिस जनपद में से स्थानान्तरित होना ,वहाँ के पुलिस अधीक्षक को इस अपराधी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सूचना भेजी जायेगी।
- जब वह अपराधी जनपद जेल से दूसरे जेल के लिए रवाना होगा, तो उस जनपद के पुलिस अधीक्षक sms gateway का प्रयोग कर अपने सभी राजपत्रित अधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ/एटीएस को भी इस सम्बन्ध में अवगत करायेंगे। यह सूचना प्राप्ति जेल के जनपदीय पुलिस अधीक्षक को भी भेजी जायेगी।

- दूसरे जनपद की जेल में दाखिल होने के उपरान्त इस जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले जनपद के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ/एटीएस व अपने जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी व थानाध्यक्षों को sms gateway के द्वारा सूचित किया जायेगा।
- प्रत्येक sms प्राप्त होने पर जिला कारागार में निरूद्व अपराधियों की सूची को अपडेट किया जायेगा।

(6) जब भी सकिय अपराधी जनपद, प्रदेश के अन्य जनपद या प्रदेश के बाहर पेशी के लिए जायेगें, तो इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:–

i- यदि अपराधी अतिसकिय प्रवृत्ति का है, तो प्रतिसार निरीक्षक पुलिस अधीक्षक से विचार–विमर्श कर आवश्यकतानुसार अपेक्षित पुलिस बल स्कोर्ट में लगाना सुनिश्चित करेंगे और अपराधी को पुलिस वाहन से ही पेशी हेतु भेजेंगे। पुलिस बल लगाने का आदेश पुलिस अधीक्षक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आदेश से ही निर्गत होगा। नशे के आदी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी न लगायी जाये। रोटेशन से ड्यूटी लगायी जाये, अर्थात जिन कर्मियों का उस अपराधी के साथ एक बार पेशी पर भेजा गया है, अगली बार पेशी में दूसरे कर्मी भेजे जाएं।

ii- जिस पुलिस वाहन में अपराधी को भेजा जाये, उसमें सीसीटीवी कैमरा/DVR की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। अपराधी के जिला कारागार से निकालने से लेकर मार्ग, पेशी तथा पेशी से वापस तथा कारागार में दाखिल करने तक की रिकार्डिंग इस कैमरा में की जायेगी। यह कैमरा/DVR 6–7 हजार रूपये में मिल जाता है, जिसे पुलिस अधीक्षक बजट में उपलब्ध धनराशि से कय करेंगे।

iii- प्रत्येक जनपद में GPS enabled smartphone क्रय किया जायें, जो कि सक्रिय अपराधियों के साथ भेजी जा रही स्कोर्ट पार्टी के प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

iv- स्कोर्ट पार्टी में जा रहे सभी पुलिस कर्मियों के मोबाइल नम्बर प्रतिसार निरीक्षक के पास उपलब्ध रहेंगे।

v- प्रतिसार निरीक्षक स्कोर्ट पार्टी को भली–भॉति ब्रिफिंग करेंगे तथा उन्हें निम्नलिखित निर्देश देंगे:–

- कैदी को जेल से लेकर सीधे मा.न्यायालय में पेश किया जायेगा। अपराधी को प्राधिकृत जगहों के अतिरिक्त अन्यत्र कही नहीं जाने दिया जायेगा और न ही अनाधिकृत व्यक्तियों के मिलने दिया जायेगा।
- रास्ते में गाड़ी रोककर कही भी जलपान/भोजन नहीं किया जायेगा। किसी अन्य से भी भोजन प्राप्त नहीं किया जायेगा। अपराधी को किसी अन्य से प्राप्त खाना न लेने दिया जाए।
- कोर्ट पेशी के उपरान्त कैदी को सीधे जिला कारागार ले जाया जायेगा।
- यदि रात्रि में विश्राम करना है तो कैदी को स्थानीय जेल में दाखिल किया जायेगा।
- स्कोर्ट पार्टी के सभी कर्मचारी भी उस जनपद के पुलिस लाईन्स में अपनी आमद करेंगे और असलहे को कोत में जमा करेंगे।
- स्कोर्ट पार्टी प्रभारी प्रत्येक एक घण्टे में प्रतिसार निरीक्षक को फोन कर कैदी व स्कोर्ट पार्टी के लोकेशन की जानकारी देंगे और साथ ही साथ smartphone पर कैदी के साथ स्कोर्ट पार्टी का चित्र लेकर whatsapp से भी भेजेंगे। यह चित्र इस प्रकार से लिया जाए, ताकि चित्र में वह स्थान, जहॉ पर स्कोर्ट मौजूद है, उनका

कोई स्पष्ट चिन्ह चित्र में उपलब्ध रहें, जैसे मील का पत्थर या कोई विद्यालय या कार्यालय इत्यादि, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि स्कोर्ट के सभी कर्मी और कैदी एक साथ है और उसी स्थान पर हैं।

- स्कोर्ट प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित न्यायालय के पेशकार से अपराधी की पेशी का एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि निर्धारित तारीख पर यह मुल्जिम सम्बन्धित न्यायालय में पेश हुआ।
- इन सभी कार्यवाही जैसे–कोर्ट में पेशी, पेशी के समाप्त होने पर स्थानीय जिला कारागार में दाखिला कराना, इत्यादि के बारे में जानकारी प्रतिसार निरीक्षक को फोन से दी जायेगी।
- यदि पुलिस वाहन के साथ अपराधी से सम्बन्धित अन्य लोगों की गाड़िया चल रही हों, तो स्कोर्ट प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह स्थानीय पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर मदद लेंगे और Convoy के रूप चल रही गाड़ियों को चेक कर उन वाहनों को रूकवायेंगे।
- यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि अपराधी को ले जाने वाले पुलिस वाहन में हूटर/सायरन का प्रयोग न हो। ऐसा करने से आम जनमानस में गलत संदेश जाता है कि अपराधी कोई वीआईपी है।

(7) जिन अपराधियों के पलायन करने की सम्भावना हो, उन्हें हथकड़ी लगाने के सम्बन्ध में न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया जाये।

(8) जिन अपराधियो को गैंगवार के चलते जान का खतरा हो, उनकी पेशी वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कराये जाने के निमित्त न्यायालय से अनुरोध किया जाए।

(9) जनपद के अन्दर पेशी पर जा रहे सक्रिय अपराधी के लिए भी प्रतिसार निरीक्षक उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(10) पुलिस स्कोर्ट पार्टी के अधिकारियों/कर्मियों की यदि कैदी के साथ मिलीभगत पायी जाती है, तो उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही की जाए।

3. मैं आशा करता हूँ कि आप उपरोक्त सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

20-7-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।